पत्रांक- 2ब०/भू-अर्जन-02-03/2024

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- **L.A वाद सं०-234/2013 से 257/2013 (द्वारिका सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार) माननीय विशेष भू-अर्जन न्यायाधीश सं0-03 व्यवहार न्यायलय, पटना द्वारा दिनांक-14.05.2014, 02.09.2014 एवं दिनांक-20.12.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में जयघोष की मूलधन की राशि 98.76994 लाख (अट्ठानवे लाख छियहत्तर हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) मात्र का आवंटन एवं सूद की राशि 126.31018 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार अठारह रूपये) मात्र का उपावंटन प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग:- **विधि विभाग के पत्रांक-5516 दिनांक-14.07.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-5516 दिनांक-14/07/2026 एवं वित्त विभाग से प्राप्त जय घोष की आवंटन के आलोक में L.A वाद सं०-234/2013 से 257/2013 (द्वारिका सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार) माननीय विशेष भू-अर्जन न्यायाधीश सं0-03 व्यवहार न्यायलय, पटना द्वारा दिनांक-14.05.2014, 02.09.2014 एवं दिनांक-20.12.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में जयघोष मूलधन की राशि 98.76994 लाख (अट्ठानवे लाख छियहत्तर हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) मात्र एवं सूद की राशि 126.31018 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार अठारह रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जयघोष मूलधन की राशि 98.76994 लाख (अट्ठानवे लाख छियहत्तर हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) मात्र की आवंटन एवं सूद की राशि 126.31018 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार अठारह रूपये) मात्र की उपावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. (i) जयघोष की मूलधन की राशि 98.76994 लाख (अट्ठानवे लाख छियहत्तर हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0113- भू-अर्जन, विपत्र कोड-48-2217031910113, विषय शीर्ष-31.05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(ii) जयघोष की सूद की राशि 126.31018 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार अठारह रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मांग संख्या-13, बजट मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ(प्रभृत), उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघुशीर्ष-701-विविध, उपशीर्ष 0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड-13-2049607010003 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया गया है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का संचिका सं०-**2ब०/भू-अर्जन-02-03/2024** के पृ०-56/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -**2ब०/भू-अर्जन-02-03/2024** /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -**2ब०/भू-अर्जन-02-03/2024** 119 /पटना, दिनांक- 28/07/26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।